न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/479

1. राधेश्याम पुत्र श्री प्रभूलाल जाति नाई निवासी धायपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. प्रहलाद पुत्र श्री प्रभूलाल जाति नाई निवासी धायपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति नाई निवासी धायपुरा ।
2. जगदीश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मा उर्फ लक्ष्मीचन्द जाति नाई ।
3. मदन लाल पुत्र भवाना जाति नाई ।
4. भैरूलाल पुत्र भवाना जाति नाई ।
5. तुलसीराम उर्फ मुशीराम पुत्र भवाना जाति नाई ।
6. मोहन लाल पुत्र भवाना जाति नाई ।
7. रामकुंवार पुत्र मन्ना लाल जाति नाई ।
8. देवीलाल पुत्र मन्नालाल जाति नाई समस्त निवासीगण धायपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. घनश्याम पुत्र मन्ना लाल जाति नाई निवासी धायपुरा ।
10. अयोध्या बाई पुत्री मन्ना लाल पत्नी मांगीलाल जाति नाई निवासी पुराना बस स्टेण्ड, शराब के ठेके के पीछे की गली, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।
11. गायत्री बाई पुत्री मन्ना लाल पत्नी बाल मुकुन्द जाति नाई निवासी ढाणी बंजारी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
12. रोडी बाई धर्मपत्नी स्व0 श्री मन्ना लाल जाति नाई निवासी धायपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
13. धन्ना लाल पुत्र पन्ना लाल जाति गुर्जर निवासी गणेशपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 54 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम हमाउ तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 19/18 में खसरा नम्बर 280 रकबा 1.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 281 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 13 के खाते की भूमि है । उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा है । प्रतिवादी कम 1 ने उक्त आराजी में से अपना हिस्सा प्रतिवादी कम 13 को बेचान कर दिया इसलिए प्रतिवादी कम 1 का उक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं है । इसी प्रकार ग्राम धायपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या 82/83 कुल किता 14 की कुल रकबा 6.51 हैक्टर भूमि स्थित है जिमसें वादीगण का 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा कब्जे काश्त के आधार पर कायम है । ग्राम जालिमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या 39/36 खसरा नम्बर 52 रकबा 2.74 हैक्टर स्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/4 में से 1/6 कब्जे काश्त के आधार पर कायम है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 13 संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि का विभजन करवाए, लगान पृथक से कायम करवाये ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम धायपुरा एवं ग्राम जालिमपुरा की आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/6 पृथक से खाते दर्ज किया जाकर लगान राज भी पृथक किया जाकर वादीगण को दखल दिलाया जावे । वादग्रस्त आराजी में अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कब्जे काश्त के अनुसार दखल दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.10.2014 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । तत्पश्चात् अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.10.2014 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से एकतरफा साक्ष्य वादीगण लेकर जारी की गई । दिनांक 22.06.2015 को राजस्व लोक अदालत एवं कोर्ट कैम्प में पत्रावली पेश हुई । कोर्ट कैम्प में विभाजन प्रस्ताव जरिये हल्का पटवारी द्वारा पेश किये गये । खसरा नम्बर 03 रकबा 0.98 हैक्टर भी अन्य खसरा नम्बर के साथ पक्षकारान की सहखातेदारी में होना प्रकट किया । उक्त भूमि का 0.49–0.49 हैक्टर के दो टुकडे किये जाकर प्रतिवादी कम 8 से 10 को 0.49 हैक्टर तथा वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 को 0.49 हैक्टर भूमि किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को संशोधन वाद पेश करने हेतु कहा गया तो पक्षकारान द्वारा संशोधन हेतु समय चाहा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत

में उसी दिन निर्णय पारित कर वाद वादीगण खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया है जिसका निर्णय एंव डिक्री काफी समय बाद टाईप किया गया है । उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.09.2015 को होने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.10.2014 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई थी और प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई दिनांक 22.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई । कोर्ट कैम्प में विभाजन प्रस्ताव जरिये पटवारी हल्का पेश किये गये । विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 0.98 हैक्टर भी अन्य खसरा नम्बर के साथ पक्षकारान की सहखातेदारी में होना प्रकट किया । उक्त भूमि का 0.49–0.49 दो टुकडे किये जाकर प्रतिवादी कम 08 से 10 को 0.49 हैक्टर तथा वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 को 0.49 हैक्टर भूमि किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को दावा संशोधित करने को कहा। संशोधन हेतु समय चाहा गया लेकिन उसी दिन दाव निरस्त कर दिया । जो जमाबन्दी पेश की गई उसमें सहवन से खसरा नम्बर 03 रकबा 0.98 हैक्टर भूमि का इन्द्राज नहीं है जबकि भूमि 14 किता की 6.51 हैक्टर दर्शित की गई है । जमाबन्दी में 13 किता ही अंकित है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 03 रकबा 0.98 हैक्टर का इन्द्राज सहवन से रह गया है । संशोधन का समय प्रदान नहीं कर अंतिम डिक्री पारित करने में भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.10.2014 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है और दिनांक 22.06.2015 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण खारिज किया गया है । विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के उपरान्त तहसील

से नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंकित डिक्री पारित करनी होती है। पत्रावली पर दिनांक 29.10.2014 के बाद आदेशिका में किसी भी दिनांक की कार्यवाही अंकित नहीं है और सीधे दिनांक 22.06.2015 का निर्णय अंकित किया गया है ।

11. पत्रावली के साथ जो नकल जमाबन्दी संवत् 2004–24 प्रदर्श– 1 संलग्न है उसके अनुसार 14 किता की 6.51 हैक्टर आराजी है परन्तु खसरा नम्बर 13 ही दर्ज है। दावे में जो आराजी अंकित की गई है उसमें 13 किता ही है और अपील के साथ अपीलान्ट ने जो नकल जमाबन्दी संवत् 2004–24 पेश की गई है उसमें 14 किता की 6.51 हैक्टर आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 03 रकबा 0.98 हैक्टर आराजी भी शामिल है । इससे यही प्रतीत होता है कि दावे के साथ जो नकल जमाबन्दी पेश की गई थी उसमें सहवन खसरा नम्बर 03 रकबा 0.98 हैक्टर अंकित होने से छूट गया था ।

12. इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा